कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रांकः 464 / 14-1 दिनाँकः सीतापुर, 26.7. 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
सीतापुर।

विषयः सीतापुर–हरदोई (राजमार्ग संख्या–330डी) के कि0मी0 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे0 संरक्षित वन भूमि के प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई व प्रभाग में प्रभावित .8.28 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 211/11–सी0–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/146875/2021 दिनांक 25.07.2023

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव तैयार करते हुए मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन प्रेषित किया गया था। उनके कार्यालय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट–1 में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं–

1. हरदोई वन प्रभाग की प्रस्तावित वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल गलत अपलोड की गयी है, उसके ओपन करने पर इण्डिया के बाहर प्रदर्शित हो रहा है, अतः सही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।
2. हरदोई एवं सीतापुर वन प्रभाग के अपलोड किए गए प्रस्तावित वन भूमि के जियो रिफ्रेन्स्ड डिज़िटल मैप पर जियो को–ऑर्डिनेट्स अंकित नहीं हैं।
3. ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड किए गए लागत–लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र में एन0पी0वी0 की दर व प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में सही लागत–लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र अपलोड करें।

(बृजमोहन शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांकः / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बृजमोहन शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर